**भारत सरकार**
**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 80**
**21.06.2019 को उत्तर के लिए**
**वन आधारित परियोजनाएं**

**80. श्री कनकमल कटाराः**

**क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कोई वन-आधारित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा राजस्थान में उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो लम्बे समय से लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वन-आधारित परियोजनाओं हेतु कई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास मंजूरी हेतु लंबित हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा उक्त लंबित परियोजना/प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने तथा स्वीकृत परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

<u>उत्तर</u>

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**
**(श्री प्रकाश जावडेकर)**

(क) और (ख) : जी, नहीं। राजस्थान की परियोजनाओं सहित, उन सभी वन-आधारित परियोजनाओं पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान के अनुसार इस मंत्रालय में उचित रूप से निर्णय लिया गया है, जो राज्य सरकार से हर तरह से पूर्ण प्राप्त हुई हैं।

(ग) और (घ) : वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधान के तहत वन भूमि के अपवर्तन के लिए चार परियोजना प्रस्तावों पर, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (एसआईआर) न होने के कारण निर्धारित समय में निर्णय नहीं लिया गया है।

इस मंत्रालय में लंबित इन चार परियोजनाओं के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (एसआईआर) शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मामले को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है।

****

**अनुबंध**

**'वन आधारित परियोजनाएं' के संबंध में दिनांक 21.06.2019 को उत्तर के लिए श्री कनकमल कटारा द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध**

| **वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य-वार लंबित प्रस्तावों के ब्यौरे** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम सं.** | **राज्य** | **फाइल सं.** | **प्रस्ताव का नाम** | **अपवर्तित क्षेत्र (हेक्टेयर में)** | **श्रेणी** | **(चरण-I/चरण (II) के लिए लंबित** | **अभियुक्ति** |
| 1 | झारखंड | 8-61/2018-एफसी | पुर्णाडीह ओसीपी | 323.49 | खनन | चरण-I के लिए लंबित | मंत्रालय के दिनांक 14.09.2018 के पत्र के तहत क्षेत्रीय कार्यालय, रांची से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मांगी गई थी तथा दिनांक 08.01.2019 को अनुस्मारक पत्र भेजा गया था किन्तु रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है। |
| 2 | झारखंड | 8-62/2018-एफसी | के.डी हेसालोंग ओपनकास्ट परियोजना | 126.72 | खनन | चरण-I के लिए लंबित | मंत्रालय के दिनांक 04.10.2018 के पत्र के तहत क्षेत्रीय कार्यालय, रांची से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मांगी गई थी तथा दिनांक 08.01.2019 को अनुस्मारक भेजा गया था किन्तु रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है। |
| 3 | मध्य प्रदेश | 8-77/2018-एफसी | सागर चिड़ियाघर और बचाव केंद्र सागर | 100 | अन्य | चरण-I के लिए लंबित | मंत्रालय के दिनांक 13.12.2018 के पत्र के तहत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल से मांगी गई स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है। |
| 4 | तेलंगाना | 8-06/2019-एफसी | श्रीरामपुर सीपेनकास्ट-II, विस्तार परियोजना, मंचेरियल जिला - 162.45 हेक्टेयर | 162.45 | खनन | चरण-I के लिए लंबित | मंत्रालय के दिनांक 18.03.2019 के पत्र के तहत क्षेत्रीय कार्यालय, चैन्ने से मांगी गई स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रतीक्षित है। |